Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Question of Privilege, Mr. Speaker gave his rulings

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी व्यवस्था दे दूँ । कृपया आप बैठ जाएँ ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था दे दूँ ।

…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I have raised a privilege issue.

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपका प्रिविलेज मोशन देख लिया है, यह मुझे मिल गया है । मैं आपके प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था दे रहा हूँ ।

…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: This is a privilege of not a Member. It is of the House. I am raising this because the privilege of this House has been violated. …(*Interruptions*) We have already given a notice. This is not of a Member but of the House.

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कॉल एंड शकधर, चैप्टर-11, पेज नम्बर 269 (अंग्रेजी) एवं पेज नम्बर 244 और 289 (हिन्दी) में उल्लिखित है कि

विशेषाधिकार का क्षेत्र फौजदारी मामलों में नहीं है । संसद किसी भी सदस्य का फौजदारी कानून प्रक्रिया से किंचित भी बचाव नहीं कर सकती है ।

दाण्डिक न्याय के प्रशासन में यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी से हाउस का विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाएगा ।

भारत के न्यायालयों ने भी उपरोक्त की पुष्टि की है ।

…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I am not talking of the privilege of the Member. I am talking of the privilege of the House. The House should be informed. …(*Interruptions*). All I am saying is that I am raising this … …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: जब कोई रूलिंग दे दी जाती है, तो रूलिंग के बाद कोई डिसकशन नहीं होती है । माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं । नियम एवं प्रक्रिया की किताब में यह बात लिखी है कि जब अध्यक्ष किसी मामले में निर्देश दे दे, तो उस पर कोई डिसकशन नहीं होती है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अधीर रंजन जी, आप बोलें ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Speaker, Sir, there is a point of order. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: There is no point of order during '*zero hour'*. शून्यकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । आप इस सदन को चलाने वाले सभापति हैं । शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन जी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी का नाम लिस्ट में है, इसलिए ये बोल रहे हैं ।

…(व्यवधान)